फोन– 05944 – 250057 फैक्स – 250059
वेबसाइट: http://www.uamandi.org

निदेशालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

पत्रांकः रा0कृ0वि0बो0/ई–नाम/(2016–XVIII–T.C)/2021–1650 **दिनांकः** 03/01/2022

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,
अगस्त मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली।

बिषय : विकास सेस को ई–नाम पोर्टल पर लगाये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 927 दिनांक 20.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, **(छायाप्रति संलग्न)** सन्दर्भित पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में मण्डी उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य 2020 अध्यादेश लागू/प्रभावी होने के कारण मण्डी समितियों द्वारा आरोपित विकास सेस शून्य हो जाने के दृष्टिगत ई–नाम पोर्टल से हटाये जाने का अनुरोध किया गया था।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1410/XXXV-/2(4)/2021T.C दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से शासन की अधिसूचना संख्या 342/XXXVI /(3)/77(1)/2021 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित अधिनियम, 2021 को दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 से लागू किया गया है, जिसके अनुसार मण्डी एवं मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर फल एवं सब्जी पर 1.00 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.50 प्रतिशत विकास सेस तथा शेष निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर 2.00 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.50 प्रतिशत विकास सेस वसूल किया जायेगा।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि ई–नाम पोर्टल पर हटाये गये विकास सेस मद को पुनः लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

03/01/22

(निधि यादव)
प्रबन्ध निदेशक

Urgent/by email

निदेशालय,
उत्तराखण्डकृषिउत्पादनविपणनबोर्ड,
मण्डीभवन, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)।

दूरभाष–05944–250055
फैक्स 05944–250059
uamandi@rediffmail.com
www.ukapmb.org

पत्रांकःउ0वि0बो0 / (ईनाम(2016XVIII.) / 2020– दिनांकः अगस्त, 2020

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,
अगस्त मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली

विषय : विकास सेस को ई–नाम पोर्टल से हटाये जाने विषयक

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में कृषि उत्पादन मंडी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2011 के स्थान पर मण्डी उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य 2020 अध्यादेश लागू प्रभावी होने के कारण मण्डी समितियां द्वारा आरोपित विकास सेस शून्य हो चुका है, परन्तु ई–नाम पोर्टल पर अब भी इसे 0.50 प्रतिशत के रुप में दर्शाया जा रहा है। परिणामस्वरुप ई–नाम पर व्यापार नगण्य हो गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया विकास सेस मद को ई–नाम पोर्टल से हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि अतिशीघ्र ई–नाम पर व्यापार सम्पादित किया जा सके।

भवदीया,
20/08/2020

(निधि यादव)
प्रबंध निदेशक

पत्रांक व दिनांक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ विपणन अधिकारी, डी.एम. आई, देहरादून।
2. महाप्रबंधक (प्रशासन / नोडल अधिकारी) उत्तराखण विपणन बोर्ड रुद्रपुर।
3. श्री आयुष अग्निहोत्री, राज्य समन्वयक, ई–नाम।

20/08/2020
प्रबंध निदेशक

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–2
संख्या /XIII-2/2021-01(04)/2021 T.C
देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, "उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी(विकास एवं विनियमन)" पुनर्जीवित "अधिनियम, 2021(अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2021)" की धारा–1 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 दिसम्बर, 2021 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या 1410/XIII-2/2021-01(04)/2021 T.C तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को उक्त अधिनियम की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
4–निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
5–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6–सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
7–संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
8–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9–सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
10–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड देहरादून।
11–आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
12–कुलपति, गो0ब0पं0कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पंतनगर/उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार, पौड़ी गढ़वाल।
13–समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14–प्रबन्ध निदेशक, मण्डी बोर्ड, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
15–निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
16–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम, पंतनगर।
17–निदेशक, उत्तराखण्ड बीज प्रमाणीकरण अभिकरण, देहरादून।
18–निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर।
19–निदेशक, सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
20–निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
21–निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, देहरादून।
22–गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव

क्रम संख्या–137 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 ई0

अग्रहायण 29, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 342/XXXVI(3)/2021/77(1)/2021

देहरादून, 20 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021' पर दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 28 वर्ष, 2021 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2011) (समय–समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित करने एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) को निरसित करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

निरसित अधिनियम का पुनर्जीवित होना

2. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2011) एतद्द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) के निरसन होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत और ऐसा कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता और दायित्व ऐसे जारी रहेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित ही न हुआ हो।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 को निरसित किया जाना आवश्यक है।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री

No. 342/XXXVI(3)/2021/77(1)/2021
Dated Dehradun, December 20, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Revival Act, 2021 (Act No. 28 of 2021)'.**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 17 December, 2021.

The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Revival Act, 2021

(Uttarakhand Act No. 28 of 2021)

An

Act

to revive the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (Act No. 09 of 2011) (as amended from time to time) and repeal the Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (promotion and Facilitation) Act, 2020 (Act No. 28 of 2020),

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Revival Act, 2021.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint.

Revival of repealed Act

2. The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (Act No. 9 of 2011) is hereby revived.

Repeal and Savings

3. (1) The Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2020 (Act No. 28 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2020 (Act No. 28 of 2020), the right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act shall continue as if the said Act had not been repealed.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of Objects ad Reasons

Whereas the State Government is satisfied that it is necessary to revive the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (as amended form time to time) and repeal the Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2020.

2. Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Subodh Uniyal
Minister.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 विधायी/536–2021–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति,.....

आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी(विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2011 को पुनर्जीवित करने एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन(प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम 2020 को निरसित करने के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक 2021 पर दिनांकः 17 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की है और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 2021 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ अधिसूचना संख्या 342/XXXVI(3)/2021/77(1)/2021, दिनांकः 20.12.2021 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप मण्डी अधिनियम के अधीन घोषित मण्डी क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय, विक्रय, संग्रह, तौलने या उस पर प्रक्रिया करने का कारोबार कृषि उत्पादन मण्डी समिति,.....से लाईसेंस प्राप्त कर निर्धारित शर्तो के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

अतः सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मों आदि से अपेक्षा है कि तत्काल मण्डी समिति,..... से उपयुक्त लाईसेंस प्राप्त/नवीनीकरण कराकर मण्डी अधिनियम के प्राविधानों/लाईसेंस की शर्तों के अनुसार कारोबार किया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
.....